# राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

साहस्त्र प्रार्थना–पत्र संख्या : 119 / 2025

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

दायर दिनांक – 30.06.2025

GCMS 2025/234

1. आसुराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

...............अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान जैतासर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी रोही ग्राम जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का निवासी है। रोही जैतासर तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 19 के खसरा संख्या 290 तादादी 2.9968 है0, खसरा नम्बर 758 तादादी 3.8061 व खसरा संख्या 775 तादादी 10.1666 है0 प्रार्थी की खातेदारी में (10 / 27 हिस्सा) दर्ज स्थित है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में आसाराम पुत्र लाधु दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम आसुराम पुत्र लाधु है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशनकार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम आसुराम पुत्र लादुराम अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही जैतासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन

गयी कि प्रार्थी के दस्तोवजों आधारकार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड में नाम आसुराम पुत्र लादुराम अंकित है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आसाराम की बजाय आसुराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम आसुराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही जैतासर तहसील सुजानगढ में खेत खाता संख्या नया 19 के खसरा संख्या 290 तादादी 2.9968 है0, खसरा नम्बर 758 तादादी 3.8061 व खसरा संख्या 775 तादादी 10.1666 है0 तहसील सुजानगढ में दर्ज खातेदार आसाराम के स्थान पर आसुराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

उपखण्ड अधिकारी

सुजानगढ़